न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 62/2023 (2023/)

1. बालक गिरी पुत्र चन्देश्वर गिरी जाति गिरी निवासी बेलामंघ जिला समस्तीपुर बिहार

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. कन्हैयालाल पुत्र कल्याण
2. मुकेश पुत्र बद्रीलाल
3. रतनी देवी पत्नि बद्रीलाल
4. सोनू पुत्र बद्रीलाल

   समस्त जाति माली निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 02.06.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
3342–940	5283 5284	0.31 1.09	बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 2	**कुल रकबा 1.40 हैक्टर**	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की एकमात्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी का 13/28 हिस्सा है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात के सीमा चिन्ह खुर्द बुर्द हो गये है तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त को लेकर लडाई झगडे होते है, क्योंकि अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है इसलिए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है जिससे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पुख्ता निशान कायम किये जा सके तथा आये दिन प्रार्थी को अप्रार्थीगण से विवाद नही करना पडे। दिनांक 30.03.2023 को आराजीयात की सुरक्षार्थ प्रार्थी तारवन्दी करवाने मौके पर गया तो पडोसियों ने सीमा चिन्ह नही होने की धमकी देकर तारवन्दी नही करने दी। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 3342–940 में दर्ज खसरा संख्या 5283, 5284 किता 2 कुल रकबा 1.40 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Scanned with OKEN Scanner